

20.02.21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आर०एम० वाद सं०-129 / 2020-21

अभिलेख उपस्थापित :- अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-75(ii) दिनांक-06/02/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है।

1. हल्का कर्मचारी के अनुशंसा अनुसार भूमि बिक्री अनुमति हेतु आवेदित भूमि मौजा-बुन्दियारू खाता सं० 29, प्लॉट सं० 951, रकबा-4 डी० वो प्लॉट सं० 952, रकबा-10 डी० है। आवेदक खतियानी रैयत अरजुन घांसी के पुत्र है। विक्रेता अपने खानदान में ही लेनदारी चुकाने हेतु बिक्री करना चाहते हैं। परन्तु उनके पुत्र श्रवण कुमार मुखियार द्वारा लिखित अपत्ति दी गई है।

2. अंचल अधिकारी के अनुसार कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के रिपोर्ट के आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में अनुमति वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बुन्दियारू	सिल्ली / 112	29	951	04 डी० चौहद्दी उ०-नदी। द०-रोहिन मुखियार। पू०-उमेश मुखियार। प०-परती कदीम रास्ता।
		29	952	10 डी० चौहद्दी उ०-नदी। द०-गहन मुखियार। पू०-उमेश मुखियार। प०-परती कदीम रास्ता।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।